संख्या:1057/XXIV-C-3/2024-13(11)2024(Comp no 69671)

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
दून मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी,
1/18, आशीर्वाद एनक्लेव,
देहरादून–248001

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

विषयः दून मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी, देहरादून को द टॉसब्रिज विश्वविद्यालय नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने दिनांकरहित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से द टॉसब्रिज विश्वविद्यालय नाम से निजी विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय देहरादून एवं मुख्य परिसर टिहरी गढ़वाल में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु संकलित शासनादेश संख्या 391/XXIV(N)–(68/12)/2015 दिनांक 16 अप्रैल, 2015(यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित नीति/मानकों तथा निर्धारित प्रारूपों के आलोक में उक्त शासनादेश के प्रस्तर–9 में प्राविधानित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त की गयी संस्तुतियों के आधार पर दून मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी, 1/18, आशीर्वाद एनक्लेव, देहरादून को जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रस्तावित द टॉसब्रिज विश्वविद्यालय " की स्थापना हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) प्रस्तावक संस्था द्वारा भूमि का स्वामित्व मानकों के अनुरूप, भवन एवं अवस्थापना सृजन का प्रमाण अनुमोदित मानचित्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सर्वोच्च नियामक संस्था जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा की गई निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सर्वोच्च नियामक संस्थाओं, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा पारित अधिनियम, नियम, विनियम तथा शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने का घोषणा पत्र।

(4) प्रदेश के स्थायी निवासियों को विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 26 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान रखा जायेगा, से सम्बन्धित घोषणा पत्र। यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती है तो राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ऐसी रिक्त सीटें अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकती हैं।

(5) निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों, जो प्रदेश के स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 26 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अनुबन्ध पत्र (Under Taking) दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे।

(6) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों हेतु योग्यता रखते हो, को इस श्रेणी के समस्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अनुबन्ध पत्र (Under Taking) दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे।

(7) निजी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय–समय पर संशोधित आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की घोषणा।

(8) प्रस्तावक संस्था के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं के मानकों एवम् अन्य प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की घोषणा पत्र।

(9) शासन के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा समस्त आधारभूत सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही संस्तुति पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

(10) संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रस्तावित विश्वविद्यालय एवम् समस्त प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में स्वीकृति पत्र/संस्तुति पत्र प्राप्त किये जाने होंगे।

(11) संस्था को समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी सर्वोच्च नियामक आयोग से संस्तुति पत्र/ स्वीकृति पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना होगा।

(12) संस्था द्वारा शासन को विश्वविद्यालय का शैक्षिक एवम् प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराया जाना होगा।

(13) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवम् उसमें किये गये संशोधनों के अनुरूप समस्त बिन्दुओं एवम् शपथ पत्रों के अनुसार कार्यपूर्ति के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने होंगे।

(14) भूमि, भवन एवम् अन्य आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने होंगे।

(15) संस्था ने मानक के अनुसार फैकल्टी/स्टाफ की नियुक्ति उचित रूप में निर्धारित चयन समिति के द्वारा की जायेगी है तथा नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जायेगा, के सम्बन्ध में रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र।

(16) संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट विकसित की जायेगी, जिसमें

संस्था की अवस्थिति, संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों, सीटों की संख्या, भौतिक अवस्थापना (भूमि, भवन, कार्यालय, शिक्षण कक्ष एवं अन्य सुविधायें), शैक्षणिक सुविधायें (प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि) तथा संस्था के वर्तमान एवम् प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित शैक्षिक एवं कुलसचिव का विवरण अद्यतन फोटाग्राफ आदि का उल्लेख होगा।

(17) संस्था की नवीनतम तुलन पत्र (Balance Sheet), आगम एवम् शोधन तथा आय–व्यय खाता, जो चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट से प्रमाणित हो, शासन को प्रस्तुत की जायेगी ।

(18) किसी भी विषय में राज्य सरकार के नियम/अधिनियम/विनियम एवं शासनादेशों के माध्यम से दी गई व्यवस्था उसी विषय में किसी अन्य व्यवस्था के रहते हुए भी बाध्यकारी प्रभाव रखेगा ।

(19) निजी विश्वविद्यालय में 02 बैच पास होने या 06 वर्ष, जो भी न्यूनतम हो, के 02 वर्ष के भीतर नैक 'A' ग्रेड लाना अनिवार्य होगा अथवा विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में से कम से कम 03 पाठ्यक्रमों को पृथक–पृथक न्यूनतम 675 स्कोर एवं यदि संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या 03 से कम है, तो प्रत्येक पाठ्यक्रम को न्यूनतम 675 या अधिक स्कोर से एन0बी0ए0 से प्रत्यायनित होना अनिवार्य होगा। नैक या एन0बी0ए0 से निर्धारित समयावधि में प्रत्यायन प्राप्त न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में आगामी सत्र के एडमिशन पर रोक लगायी जा सकती है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(20) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने समस्त शिक्षकों, कार्मिकों और छात्रों का डाटा बेस समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(21) निजी विश्वविद्यालय में किसी भी पद (शिक्षण/शिक्षणेत्तर) पर रिक्ति की दशा में इसे तीन दिन के अंदर समर्थ पोर्टल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यूनतम एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानकों का अनुपालन करते हुए, अधिकतम तीन माह के अंदर पद पर भर्ती सुनिश्चित करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(22) निजी विश्वविद्यालय के समस्त कार्मिकों का वेतन भुगतान समर्थ पोर्टल अथवा अन्य ऑनलाइन माध्यम से कार्मिक के खाते में किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(23) विश्वविद्यालय द्वारा अपने समस्त शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों सहित छात्रों की वास्तविक समय आधार पर उपस्थिति ऑनलाइन माध्यम से समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी। ऑनलाइन उपस्थिति हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रयोग में लायी जाने वाले मोबाइल अप्लीकेशन अथवा अन्य किसी अप्लीकेशन का प्रयोग किया जा सकता है जिसका डाटा समर्थ

पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(24) निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के अनुसार छात्र–शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(25) निजी विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी यू0जी0सी0 विनियम, जो राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया हो, के मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(26) न्यूनतम नैक "A" ग्रेड आने तक विश्वविद्यालय द्वारा एक तीन सदस्यीय इण्टरनल क्वालिटी एसेसमेंट सैल (IQAC) का गठन किया जायेगा, जिसके समस्त सदस्य प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होंगे, जोकि विश्वविद्यालय में कार्यरत न हों, उसकी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(27) इण्टरनल क्वालिटी एसेसमेंट सैल(IQAC) की प्रतिकूल आख्या आने पर अथवा कोई शिकायत प्राप्त होने पर सरकार द्वारा एक विस्तृत जाँच हेतु एक्सपर्ट टीम गठित की जा सकेगी, जिसकी आख्या के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के आगामी शैक्षिक सत्र में नये एडमिशन पर रोक लगाते हुये दण्डात्मक कार्यवाई पर विचार किया जा सकता है, का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

3– आशय पत्र (Letter of Intent) अथवा सशर्त मान्यता हेतु पत्र संस्था को किसी विशिष्ट शैक्षणिक सत्र में मान्यता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है तथा यह अधिकार मात्र शासन के विवेकाधीन होगा।

4– संस्था के द्वारा आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्तों का पालन करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा एवं विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर विहित प्रकियानुसार संस्तुति की जायेगी।

5– शासन की औपचारिक मान्यता एवं विधानसभा में अध्यादेश/अधिनियम के पारित होने से पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

6– संस्था/विश्वविद्यालय एवं शासन के उच्च शिक्षा विभाग के मध्य आशय पत्र से उत्पन्न विवादों का निस्तारण माध्यस्थम के माध्यम से सोल अर्बिट्रेटर द्वारा किया जायेगा, जो शासन के मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी होंगे। सोल अर्बिट्रेटर का निर्णय अन्तिम और पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी होगा। इस संबध में सुलह एवं माध्यस्थम अधिनियम, 1996 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्राविधान लागू होंगे। कोई बात/विषय पर विवाद होने की स्थिति में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन का निर्णय सर्वमान्य होगा । इस सम्बन्ध में कोई भी विधिक् दावा मान्य नहीं होगा

7– संकलित शासनादेश संख्या 391/XXiv(N)–(68/12)/2015, दिनांक 18 अप्रैल, 2015(यथा संशोधित) में निर्धारित नीति व समय–समय पर उसमें होने वाले संशोधनों/मानकों का तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) के साथ उपलब्ध कराये गये शपथपत्रों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

8– प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने पर आर्थिक शस्ति (Penality) विघटन आदि की कार्यवाही सक्षम स्तर से निर्णय लेकर सम्पादित की जायेगी एवं इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रायोजक निकाय का होगा।

9– विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु उक्त आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षो के लिए मान्य होगा, इसके पश्चात् स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

10– अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि औपचारिक मान्यता पर विचार किये जाने हेतु इस पत्र के निर्गत होने के उपरान्त उपरोक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by
Ranjit Kumar Sinha
Date: 25-10-2024 17:44:58

(रंजित कुमार सिन्हा)
सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
8. गार्ड फाइल।